समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
–: आदेश :–

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–19(आ0), दिनांक–03.08.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्राम कचहरी के सरपंचों, उपसरपंचों एवं पंचों(सदस्यों) के लिए *सामान्य घटक में* योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा–विपत्र कोड–**पी–2515001980106** एवं ***अनुसूचित जाति विशेष घटक में*** योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु–2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाए–विपत्र कोड–**पी–2515007890104** के लिए उपलब्ध कराई गई कुल राशि मो0 1,85,98,050/–(एक करोड़ पचासी लाख अनठानवे हजार पचास रूपये) मात्र को संलग्न विवरणी के अनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को उनके पदनाम के सामने उपावंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम–4–05/98–2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 423, दिनांक–31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 के **मांग संख्या 16** के अन्तर्गत योजना बजट में उपबंधित बजट शीर्षों के अन्तर्गत जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–06, दिनांक–05.07.2016 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अंतर्गत व्यवसायिक भुगतान हेतु समीक्षा करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के **नियत भत्ते का भुगतान इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे।**

5. **उपावंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ही की जायेगी। यदि राशि शेष रह जाती है तो उसका उपयोग विगत वर्षो के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से ही किया जायेगा।**

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसगंत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. उपावंटित राशि का मासिक व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के दो तारीख तक तथा प्रत्यार्पण प्रतिवेदन **दिनांक 20.03.2017** तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक–1260/पं0, मधेपुरा, दिनांक–29/09/2016.

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विभागीय संकल्प सं0-2517, दिनांक-05.05.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से ग्राम कचहरी सरपंच हेतु मासिक राशि- 2500/-, उप-सरपंच हेतु मासिक राशि 1200/- एवं सदस्य हेतु मासिक राशि-500/- की दर से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु उपावंटित राशि

क्र0	प्रखंड का नाम	ग्राम कचहरी की सं0	लघु शीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	ग्राम कचहरी की सं0	लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	17	1520150	17	339660	1859810
2	ंकिरपुर	9	804780	9	179820	984600
3	घैलाढ़	9	804780	9	179820	984600
4	गम्हरिया	8	715360	8	159840	875200
5	सिंहेश्वर	13	1162460	13	259740	1422200
6	मुरलीगंज	17	1520150	17	339660	1859810
7	कुमारखंड	21	1877840	21	419580	2297420
8	ग्वालपाड़ा	12	1073040	12	239760	1312800
9	बिहारीगंज	12	1073040	12	239760	1312800
10	उदाकिशुनगंज	16	1430730	16	319680	1750410
11	पुरैनी	9	804780	9	179820	984600
12	आलमनगर	14	1251880	14	279720	1531600
13	चौसा	13	1162460	13	259740	1422200
	कुल योग :-	**170**	**15201450**	**170**	**3396600**	**18598050**

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।